दीवानी विविध प्रकरण संख्याः— 11/2024

अनवान— अनिल कुमार बनाम सीता आदि

1

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
26.05.2026	अधिवक्ता प्रार्थी श्री जगदीश प्रसाद कड़वासरा उपस्थित। अप्रार्थी संख्या— 1 लगायत 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। अप्रार्थी संख्या— 4 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित। प्रकरण में बहस प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा सुनी गई थी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के निस्तारण बाबत् प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन निम्न प्रकार है— **1. <u>प्रथमदृष्टया मामलाः—</u>** इस संबंध में दौरान—ए—बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क यह रहा है कि हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या— 1 लगायत 3 की खातेदारी की भूमि थी, जिसके सम्बन्ध में अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के हक में एक इकरारनामा दिनांक 06.06.2023 को निष्पादित किया था। जिसके बैचान का प्रतिफल 10,00,000/— रुपये उभय पक्षकारान् के मध्य तय हुआ था। जिसमें से कुल 7,77,800 रुपये प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या— 1 लगायत 3 को अदा कर दिये गए थे तथा शेष राशि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को अदा कर दिनांक 05.04.2024 को बैयनामा निष्पादित किया जाना तय किया गया था। उक्त दिनांक को प्रार्थी शेष प्रतिफल व खर्चा बैयानामा की राशि लेकर वास्ते करवाने बैयनामा निष्पादन व पंजीयन उपस्थित रहा था, किन्तु अप्रार्थी संख्या— 1 लगायत 3 के उपस्थित नहीं आने व प्रार्थी से सम्पर्क नहीं किए जाने के कारण करारानुसार बैयनामा पंजीकृत नहीं हो सका था। तत्पश्चात् दिनांक 06.04.2024 को प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या— 1 लगायत 3 को नोटिस दिया जाकर इकरारनामे की पालना हेत दिया था, किन्तु नोटिस के प्राप्त होने के बाद भी अप्रार्थी संख्या— 1 लगायत 3 द्वारा प्रार्थी के हक में बैयानामा पंजीयन नहीं करवाया गया। जिस पर प्रार्थी के द्वारा करार की विनिर्दिष्ट अनुपालना और स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया गया है, जिसके साथ अस्थायी निषेधाज्ञा का यह प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है। अतः उनके अनुसार	

प्रथमदृष्ट्या मामला का बिन्दु प्रार्थी के हक में तय किये जाने योग्य है।

प्रकरण में अप्रार्थी संख्या— 1 लगायत 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। विद्वान राजकीय अभिभाषक ने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी के तर्कों का विरोध करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किए जाने निवेदन किया है।

उभय पक्षों के तर्कों को गौर किया गया। उनके प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी की ओर से न्यायालय में मूल वाद पेश कर इकरारनामा दिनांक 06.06.2023 की विनिर्दिष्ट अनुपालना का अनुतोष चाहा है। इस इकरारनामे के अवलोकन से जाहिर होता है कि यह इकरारनामा बाबत् बेचान अप्रार्थी संख्या— 1 लगायत 3 के द्वारा प्रार्थी के हक में निष्पादित किया जाना प्रकट होता है। जिसमें यह भी अंकित है कि इस वादग्रस्त भूमि के बेचान के लिये नियत कुल राशि में से 7,77,800/— रूपये अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी से प्राप्त कर लिये गए थे तथा शेष रकम वक्त निष्पादन विक्रय विलेख दिनांक 05.04.2024 को अदा किया जाना उभयपक्षकारान के मध्य तय हुआ था। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या— 1 लगायत 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने के कारण इसके विपरीत कोई उज्र पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। यद्यपि इसके संबंध में इस स्तर पर कोई भी विनिश्चय किया जाना संभव नहीं है तथा इसके संबंध में कोई भी अंतिम विनिश्चय मूल वाद में उभयपक्षकारान की साक्ष्य लेखबद्ध किये जाने के बाद ही किया जाना संभव है।

किन्तु इस स्तर पर यह माना जा सकता है कि प्रार्थी न्यायालय के समक्ष ऐसा मामला लेकर आया है जिसके संबंध में न्यायालय द्वारा विचारण किया जाना है।

अतः प्रथमदृष्ट्या मामला का बिन्दु प्रार्थी के हक में तय किया जाता है।

2. व 3. <u>सुविधा—असुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति—</u>

पूर्वोक्त विवेचनानुसार स्पष्ट है कि प्रथमदृष्ट्या मामला का बिंदु प्रार्थी के हक में तय किया गया है। उसके प्रकाश में यदि मूल वाद के निस्तारण से पूर्व अप्रार्थी संख्या— 1 लगायत 3 द्वारा वादग्रस्त भूमि का अंतरण किसी अन्य व्यक्ति के हक में कर दिया जाता है तो इससे निश्चय ही प्रार्थी को गंभीर असुविधा होगी एवं वह वादग्रस्त भूमि के संबंध में अपने अधिकारों से सदैव के लिये वंचित हो जायेगा। इसी प्रकार

	यदि मूल वाद के निस्तारण से पूर्व ही अप्रार्थी संख्या— 1 लगायत 3 द्वारा वादग्रस्त संपति का अंतरण किसी अन्य व्यक्ति को कर दिया जाता है तो प्रार्थी वादग्रस्त संपत्ति में अपने हक से सदैव के लिये वंचित हो जायेगा। ऐसे में उसे जो हानि होगी उसका मुद्रा में मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं है। ऐसी सूरत में यदि अप्रार्थी संख्या— 1 लगायत 3 को वादग्रस्त भूमि का बेचान या अन्य संक्रामण करने के अतिरिक्त, अन्य सभी प्रकार से उसका विधिसंगत उपयोग—उपभोग करने की अनुमति दी जाती है तो अप्रार्थी संख्या— 1 लगायत 3 को कोई असुविधा या अपूरणीय क्षति कारित होना प्रकट नहीं होता है। अतः सुविधा—असुविधा के संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के हक में तय किया जाता है। अस्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष का मुख्य उद्देश्य यह है कि मूल वाद के निस्तारण तक, वादग्रस्त संपत्ति को उसके वास्तविक स्वामी के लिये सुरक्षित रखा जाये। इस उद्देश्य की पूर्ति भी अप्रार्थी संख्या— 1 लगायत 3 को वादग्रस्त भूमि का अंतरण नहीं करने के लिये पांबद करके की जा सकती है। उक्त सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथमदृष्ट्या मामला, सुविधा—असुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के हक में तय किये गये है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी संख्या— 1 लगायत 3 वादग्रस्त संपत्ति का किसी भी प्रकार से हस्तांतरण अन्य व्यक्ति के हक में नहीं करेगा। किन्तु वह वादग्रस्त सम्पति का अन्य प्रकार से विधिसंगत उपयोग—उपभोग करने के लिए स्वतंत्र रहेगा। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि मूलवाद के निस्तारण तक उभयपक्षकारान में से किसी के द्वारा वादग्रस्त संपत्ति पर कोई विकास कार्य किया जाता है तो उससे उसके हक में वादग्रस्त संपत्ति के संबंध में कोई अतिरिक्त अधिकार उत्पन्न नहीं होंगे। पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह गयी है। अतः पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील शामिल मूल पत्रावली रहे।	

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.05.27 08:15:32 IST